UPSI180023622022

न्ययलय Civil Judge Junior Division Mahmudabad, Sitapur

पेठसीन अधिकरी- (Amit Singh), **(उ०प्र० न्ययिक सेव) - UP02519**

मूलवाद सं० Civil Suit/127/2022

ramkunwar Vs. amar singh and others

दिनॉक–06.05.2022

वादी द्वारा **श्री सत्यपाल सिंह एडवोकेट** के माध्यम से वाद–पत्र बाबत **स्थाई निषेधाज्ञा**, प्रस्तुत किया गया।

समस्त प्रपत्रों एवं मुंसरिम आख्या का अवलोकन किया गया।

आदेश

वाद दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी हो। वादी पैरवी करे। पत्रावली वास्ते दाखिला जवाबदावा एवं वास्ते विरचन वादबिन्दु दिनांक 05.07.2022 को पेश हो।

सिविल जज जू0 डि0
महमूदाबाद, सीतापुर।

J.O. Code- UP02519

प्रार्थना–पत्र 6ग2

वादी/प्रार्थी द्वारा प्रा0 पत्र 6ग2 समर्थित शपथ–पत्र इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वादी/प्रार्थी गाटा सं0 359 रक्बा 0.420 हे0 स्थित ग्राम लोधासा परगना व तहसील महमूदाबाद जिला सीतापुर का मालिक, काबिज व संक्रमणीय भूमिधर है। वादी के गाटा सं0 359 के पूर्वी–पश्चिमी एवं उत्तरी किनारों पर वादी के लगाये हुए लगभग 100 पेड़ यूकेलिप्टस के लगे हुए हैं तथा उसमें पिपरमेंट की फसल लगी है, जो वादी के कब्जे व दखल में है तथा उससे प्रतिवादीगण का कोई वास्ता–सरोकार नहीं है। गाटा सं0 359 की पूर्वी सीमा मुख्य खड़न्जा मार्ग से मिली हुई है तथा आबादी के समीप है। इस कारण वादीय भूमि बहुत कीमती हो गई है, जिससे प्रतिवादीगण की नीयत वादीय भूमि पर खराब हो गई है तथा प्रतिवादीगण वादी के खेत के पूर्वी किनारे पर लगे यूकेलिप्टस के पेड़ों को काटकर वादीय भूमि पर जबरन कब्जा करके उसपर दीवाल, लैट्रिन आदि का पक्का निर्माण कर लेना चाहते हैं। उपरोक्त कारणवश दौरान मुकदमा के लिए प्रतिवादी/विपक्षीगण को निषेधित कर दिया जाय। वादी/प्रार्थी की ओर से सूची 8ग से 9ग खतौनी, 10ग खसरा, 11ग शिकायती प्रार्थना7पत्र एवं 12ग शिकायत पर्ची की छाया प्रतियां दाखिल किया गया है।

वादी/प्रार्थीगण की ओर से दाखिल 9ग नकल खतौनी के अवलोकन से विदित होता है कि वादग्रस्त भूमि गाटा सं0 359 रक्बा 0.420 हे0 पर वादी का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। वादी/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र 6ग2 के समर्थन में एवं विवादित भूमि पर अपने अध्यासन के समर्थन में शपथ–पत्र का0 सं0 7ग2 एवं 10ग नकल खसरा दाखिल किया गया है। वादी/प्रार्थी द्वारा दाखिल राजस्व प्रपत्रों तथा शपथ–पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला वादी/प्रार्थी का बनता है। अतः प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नियत तिथि तक के लिए विपक्षी/प्रतिवादीगण को वादी/प्रार्थी की उपरोक्त भूमि गाटा सं0 359 रक्बा 0.420 हे0 पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से निषेधित कर दिया जाय। तद्नुसार इस स्तर पर विवादित स्थल को संरक्षित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अग्रिम नियत तिथि तक प्रतिवादी/विपक्षीगण वादग्रस्त गाटा सं0 359 रक्बा 0.420 हे0 स्थित ग्राम लोधासा परगना व तहसील महमूदाबाद जिला सीतापुर में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। यह आदेश मात्र वादी/प्रार्थी एवं प्रतिवादी/विपक्षीगण के मध्य ही प्रभावी होगा। इस आदेश का प्रभाव सीमांकन कराने वाले सक्षम प्राधिकारी पर नहीं पड़ेगा। वादी/प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 जा0दी0 का अनुपालन अविलम्ब करे। वादी/प्रार्थी के पैरवी करने के उपरान्त ही इस आदेश की प्रति जारी हो। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना–पत्र 6ग2 दिनांक–20.05.2022 को पेश हो।

सिविल जज जू0 डि0
महमूदाबाद, सीतापुर।

J.O. Code- UP02519

अजय/स्टेनो

Digitally signed by AMIT SINGH
Date: 2022.05.06 17:28:59 IST
Reason: Order
Location: Civil Judge J.D./J.M. Mahmudabad, Sitapur.